# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :– 50/2024
निर्णय दिनांक :– 02.05.2025
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. रोशन खां पुत्र लादू खां जाति मुसलमान निदासी ग्राम टीकेल नरूकान तहसील फागी
जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री गोपाल लाल चौधरी वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111 व 128 तरमीम दुरूस्ती लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 20.06.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 47/14 रकबा 2.2761 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम टिकेलनरूकान पटवार हल्का कासेंल भू०अभि०नि०क्षेत्र मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार है। जिससे अन्य किसी दीगर व्यक्ति का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थी मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, जो प्रार्थी की अलाटशुद्वा भूमि है, जहां प्रार्थी को अलाट हुयी थी, वही पर प्रार्थी शुरू से काबिज काश्त चला आ रहा है, लेकिन अभी हाल में राज्य सरकार द्वारा की गयी तरमीम डी०आई०एलआर०एम०पी० शीट में तरमीम सही है, परन्तु ऑनलाईन भू–नक्शा साईड पर रकबा अनुसार तरमीम सही दर्ज नही है। इसलिये भू–नक्शा ऑन लाईन साईड पर नक्शा उक्त आराजी का नक्शा निकलवाते समय अन्य चारागाह भूमि में अपलोड होता है जिससे रकबा से अधिक भूमि का नक्शा अपलोड होता है। प्रार्थी की आराजी के लगवा चारागाह भूमि में भी प्रार्थी की भूमि को नक्शा शीट में सम्पूर्ण चारागाह भूमि में दर्शित कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी की भूमि का क्षेत्रफल 2.2761 हैक्टेयर है, तथा उक्त क्षेत्रफल पर ही प्रार्थी मौके पर

लगातार.........................2

उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर

काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी को अपनी आराजी की गलत तरमीम की जानकारी होने पर प्रार्थी ने दिनांक 19.01.2025 को पटवारी हल्का से मिलकर अपने राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित दस्तावेजात दिखाये तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार फागी से सम्पर्क करने के लिये कहां तब प्रार्थी ने दिनांक 20.01.2025 को श्रीमान तहसीलदार फागी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आराजी आराजी में हुयी गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु कहां तो श्रीमान तहसीलदार ने सम्बन्धित न्यायालय में चाराजोही करने हेतु कहां गया जिस पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत तरमीम दुरूस्त का प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2025 को श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश करने बाबत् कहा तो श्रीमान के समक्ष अविलम्ब अन्दर दिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायायालय के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया। तथा अपने जवाब में बताया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड रोशन खां पुत्र लादु खां जाति मुसलमान ख.नं. 47/14 रकबा 2.2761 हैक्टेयर किस्म बासनी 3 राजस्व दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी मौके पर डीआईएलआरएमपी शीट मे तरमीम अनुसार मौके पर काबिज है लेकिन भू. नक्शा ऑनलाईन साईड पर प्रार्थी के ख.नं. 47/14 का नक्शा चारागाह भूमि पर 47/1003 रकबा 60.1523 हैक्टेयर किस्म चारागाह के साथ जुडा हुआ है। ख.नं. 47/8 कि लटठा में तरमीम के दो टुकडे करते हुए डीआईएलआरएमपी शीट में 47/1003 को भी शामिल कर दिया जो मुताबिक लट्ठा शीट गलत तरमीम डीआईएलआरएमपी शीट में हो गई। लट्टा शीट में 47/14 कि पैंसिल तरमीम हो रखी है उसी के अनुसार डीआईएलआरएमपी शीट में तरमीम हो रखी है जो सही है। ख.नं. 47/8 व ख.नं. 47/1003 के बीच की तरमीम हटाते हुए व चारागाह भूमि ख.नं. 47/1003 रकबा 60.1523 हैक्टेयर में जो चारागाह भूमि का वास्तविक नम्बर 47/1003 शुद्ध किया जाने के पश्चात उक्त चारागाह भूमि का ख.नं. व

लगातार........................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी

रकबा भी सही होता है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 24.04.2025 के अनुसार रोशन खां मुताबिक डीआईएलआरएमपी शीट के अनुसार मौका पर ख.नं. 453, 454 के सामने सड़क के पार लगभग 30 वर्ष से काबिज एवं काश्त कर रहा है। अतः तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

3. बहस सुनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम टीकेलनरूकान के खाता संख्या 249 मे प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। तहसीलदार फागी ने भी अपने जबाब मे ग्राम टीकेलनरूकान में खाता सं. 249 के आराजी ख0नं0 47/14 रकबा 2.2761 हैक्टेयर मे मौके अनुसार भू0 नक्शा ऑनलाईन साइट पर दुरूस्त किया जाना उचित है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

## आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 249 के ख0न0 47/14 भूमि वाके ग्राम टीकेलनरूकान तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात की वर्तमान तरमीम को डीआईएलआरएमपी के तहत की गयी तरमीम के अनुसार ऑनलाईन भू0नक्शा साइट पर भी तहसीलदार फागी की रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को सरे इजलास सुनाया जाता है।

20/6/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर